



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1637]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2018/वैशाख 14, 1940

No. 1637]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2018/ VAISAKHA 14, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

का.आ. 1824(अ).—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम (1) में उल्लिखित दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी की नियुक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के रूप में करती है तथा उक्त अधिकारी उक्त तालिका के कॉलम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों से संबंधित अपने संबद्ध कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अंदर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा "संपदा अधिकारी" को सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

अधिकारी का अधिसूचित पदनाम	कार्यक्षेत्र की सीमा	कार्यकाल
श्री आर.वी. राजवानी, उप मुख्य लेखा अधिकारी	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित और उसके स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन सभी भूमि और परिसर	पांच वर्षों की अवधि हेतु अथवा जब तक वह सेवारत हों, जो भी पहले हो।

2. उक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ए-12011/2/2018-पी.ई.-II]

सतिन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2018

S.O. 1824(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in the column (1) of the Table below, being an officer of the Deendayal Port Trust, to be Estate officer for the purpose of said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the “Estate Officer” by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:

Name & Designation of Officer	Limits of Jurisdiction	Tenure
Shri R.V. Rajwani, Dy. Chief Accounts Officer	All lands and premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Trust	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.

2. The said appointment shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/2/2018-PE-II]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.